सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:— 2011/00028 दर्ज तिथिः—01.09.2011

1. रमेश पुत्र दौलाराम
2. पारसमल पुत्र दौलाराम
3. नारणाराम पुत्र दौलाराम
4. झीणीदेवी पत्नी दौलाराम
   (वादी संख्या 03 नाबालिग जरिये कुदरती वली सगी माता झीणी पत्नी दौलाराम)
   जाति मेघवाल निवासी ढीमड़ी तहसील गुड़मालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. तगाराम पुत्र मन्दराराम
2. छगनाराम पुत्र मन्दराराम
3. दौलाराम पुत्र मन्दराराम
4. मोहनलाल पुत्र मन्दराराम
   जाति मेघवाल निवासी ढीमड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रिडमलराम चौधरी
प्रतिवादी — श्री बाबूलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested

तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 98/27.10 बीघा, 98/1/0.02 बीघा, 98/2/8.00 बीघा, 98/4/6.09 बीघा, 176/17.09 बीघा मौजा ढीमड़ी (हाल राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 176/2.8247 है0, 98/4/1.0441 है0 मौजा भवानीगढ एवं खसरा संख्या 98/4.4515 है0, 98/1/0.0162 है0, 98/2/1.2950 है0 मौजा ढीमड़ी तहसील गुड़ामालानी) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ने ईकबाली जबाब दावा किया। प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.08.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/646 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/646 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 15.04.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1301—1308 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 15.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1301—1308 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 15.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071—2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 98/27.10 बीघा, 98/1/0.02 बीघा, 98/2/8.00 बीघा, 98/4/6.09 बीघा, 176/17.09 बीघा मौजा ढीमड़ी (हाल राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 176/2.8247 है0, 98/4/1.0441 है0 मौजा भवानीगढ एवं खसरा संख्या 98/4.4515 है0, 98/1/0.0162 है0, 98/2/1.2950 है0 मौजा ढीमड़ी तहसील गुड़ामालानी) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराज़ी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 98/27.10 बीघा, 98/1/0.02 बीघा, 98/2/8.00 बीघा, 98/4/6.09 बीघा, 176/17.09 बीघा मौजा ढीमड़ी (हाल राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 176/2.8247 है0, 98/4/1.0441 है0 मौजा भवानीगढ एवं खसरा संख्या 98/4.4515 है0, 98/1/0.0162 है0, 98/2/1.2950 है0 मौजा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested

ढीमड़ी तहसील गुड़ामालानी) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
झीणी पत्नी दौलाराम हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन—हिस्सा पूर्ण खाता एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	भवानीगढ	176	0.9672	बा0अ0
नाबालिग नारणाराम पुत्र दौलाराम संरक्षक माता झीणी देवी हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार पारसमल पुत्र दौलाराम हि0 1/5 रमेश पुत्र दौलाराम हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन—मोहन पुत्र मन्दराराम हि0 पूर्ण खाता आरएमजीबी गुड़ामालानी दौलाराम पुत्र मन्दराराम हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	ढीमड़ी	98 98/1 98/2	1.0857 0.0162 0.3236	बा0दो0 गै0मु0 चा0चार
कुल किता 04 रकबा 2.3937 है0				
छगना पुत्र मन्दरा हि0 1/3 जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन—हिस्सा 1/3 पूर्ण खाता एसबीआई शाखा गुड़ामालानी	ढीमड़ी	98 98/2	3.3052 0.9714	बा0दो0 चा0चार
तगा पुत्र मन्दरा हि0 1/3 जाति भांभी सा0 देह खातेदार मोहन पुत्र मन्दरा हि0 1/3 जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन—हि0 1/3 आरएमजीबी गुड़ामालानी	भवानीगढ	176 98/4	1.8575 1.0441	बा0अ0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 7.1782 है0				
छगनाराम पुत्र मन्दराराम हि0 1/4 झीणी पत्नी दौलाराम हि0 1/20 तगाराम पुत्र मन्दराराम हि0 1/4 दौलाराम पुत्र मन्दराराम हि0 1/20 नाबालिग नारणाराम पुत्र दौलाराम संरक्षक माता झीणी देवी हि0 1/20 पारसमल पुत्र दौलाराम हि0 1/20 मोहन पुत्र मन्दराराम हि0 1/4 रमेश पुत्र दौलाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर	ढीमड़ी	98	0.0606	—
कुल किता 01 रकबा 0.0606 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.:— 2011/00028 दर्ज तिथिः—01.09.2011

1. रमेश पुत्र दौलाराम
2. पारसमल पुत्र दौलाराम
3. नारणाराम पुत्र दौलाराम
4. झीणीदेवी पत्नी दौलाराम
   (वादी संख्या 03 नाबालिग जरिये कुदरती वली सगी माता झीणी पत्नी दौलाराम)
   जाति मेघवाल निवासी ढीमड़ी तहसील गुड़मालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. तगाराम पुत्र मन्दराराम
2. छगनाराम पुत्र मन्दराराम
3. दौलाराम पुत्र मन्दराराम
4. मोहनलाल पुत्र मन्दराराम
   जाति मेघवाल निवासी ढीमड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रिडमलराम चौधरी
प्रतिवादी — श्री बाबूलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 98/27.10 बीघा, 98/1/0.02 बीघा, 98/2/8.00 बीघा, 98/4/6.09 बीघा, 176/17.09 बीघा मौजा ढीमड़ी (हाल राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 176/2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested

8247 है0, 98/4/1.0441 है0 मौजा भवानीगढ एवं खसरा संख्या 98/4.4515 है0, 98/1/0.0162 है0, 98/2/1.2950 है0 मौजा ढीमड़ी तहसील गुड़ामालानी) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
झीणी पत्नी दौलाराम हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन—हिस्सा पूर्ण खाता एसबीआई शाखा गुड़ामालानी नाबालिग नारणाराम पुत्र दौलाराम संरक्षक माता झीणी देवी हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार पारसमल पुत्र दौलाराम हि0 1/5 रमेश पुत्र दौलाराम हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन—मोहन पुत्र मन्दराराम हि0 पूर्ण खाता आरएमजीबी गुड़ामालानी दौलाराम पुत्र मन्दराराम हि0 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	भवानीगढ	176	0.9672	बा0अ0
	ढीमड़ी	98 98/1 98/2	1.0857 0.0162 0.3236	बा0दो0 गै0मु0 चा0चार
कुल किता 04 रकबा 2.3937 है0				
छगना पुत्र मन्दरा हि0 1/3 जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन—हिस्सा 1/3 पूर्ण खाता एसबीआई शाखा गुड़ामालानी तगा पुत्र मन्दरा हि0 1/3 जाति भांभी सा0 देह खातेदार मोहन पुत्र मन्दरा हि0 1/3 जाति भांभी सा0 देह खातेदार रहन—हि0 1/3 आरएमजीबी गुड़ामालानी	ढीमड़ी	98 98/2	3.3052 0.9714	बा0दो0 चा0चार
	भवानीगढ	176 98/4	1.8575 1.0441	बा0अ0 बा0दो0
कुल किता 04 रकबा 7.1782 है0				
छगनाराम पुत्र मन्दराराम हि0 1/4 झीणी पत्नी दौलाराम हि0 1/20 तगाराम पुत्र मन्दराराम हि0 1/4 दौलाराम पुत्र मन्दराराम हि0 1/20 नाबालिग नारणाराम पुत्र दौलाराम संरक्षक माता झीणी देवी हि0 1/20 पारसमल पुत्र दौलाराम हि0 1/20 मोहन पुत्र मन्दराराम हि0 1/4 रमेश पुत्र दौलाराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	ढीमड़ी	98	0.0606	—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested

रहन बदस्तुर				
कुल किता 01 रकबा 0.0606 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:29 IST
Reason: SelfAttested